उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0), नियर आई0एस0बी0टी0, क्लेमनटाउन, देहरादून
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

<u>वाहन के विक्रय हेतु निविदा सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग देहरादून के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0 UA07 D 7390 मारूति स्टीम कार (पैट्रोल) मॉडल वर्ष 2002 के ''जैसा है जहॉ है'' के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। वाहन के विक्रय हेतु सील बन्द निविदा इच्छुक केताओं से दिनांक 30.08.2013 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि उसी दिवस को अपराह्न 03.30 बजे उपस्थित केताओं के समक्ष निविदा समिति द्वारा खोली जाएगी। निविदाएं निर्धारित प्रपत्र पर ही आमंत्रित की जाएगी। इच्छुक केताओं को जमानत धनराशि के रूप में रू0 5000.00 (रूपया पॉच हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, सील बन्द निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सांय 04.00 बजे से 06.00 बजे तक आयोग परिसर में किया जा सकता है। वाहन विक्रय निविदा की विस्तृत शर्तें एवं निविदा प्रपत्र आयोग कार्यालय अथवा वेबसाईट www.uerc.gov.in पर देखी जा सकती है।

Advt. no. 10/13-14

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0), नियर आई0एस0बी0टी0, क्लेमनटाउन, देहरादून
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

आयोग के वाहन के विक्रय हेतु निविदा सूचना

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग देहरादून के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0 UA07 D 7390 मारूति स्टीम कार (पैट्रोल) मॉडल वर्ष 2002 के ''जैसा है जहॉ है'' के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। वाहन के विक्रय हेतु सील बन्द निविदा इच्छुक क्रेताओं से दिनांक 30.08.2013 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि उसी दिवस को अपराह्न 03.30 बजे उपस्थित क्रेताओं के समक्ष निविदा समिति द्वारा खोली जाएगी। इच्छुक क्रेताओं को जमानत धनराशि के रूप में रू0 5000.00 (रूपया पॉच हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, सील बन्द निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निविदाएं निर्धारित प्रपत्र पर ही आमंत्रित की जाएगी। निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र नीचे संलग्न है।
2. जमानत के रूप में जमा की गयी धनराशि उच्चतम निविदादाता दरों के दो सफल (प्रथम एवं द्वितीय) बोलीदाताओं की धरोहर राशि को छोड़कर शेष निविदादाताओं की राशि तुरन्त वापस कर दी जाएगी।
3. जिस निविदादाता द्वारा उच्च बोली प्राप्त होगी। उसे निविदित राशि की 50 प्रतिशत धनराशि नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, के रूप में तत्काल अथवा दो दिन के अन्दर जमा करनी तथा शेष धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा कर निष्प्रयोज्य घोषित वाहन की डिलीवरी प्राप्त करनी होगी।
4. निविदा से प्राप्त धनराशि केवल नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, के रूप में जमा की जा सकती है अन्य माध्यम से जमा धनराशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. यदि उच्चतम सफल निविदादाता द्वारा वाहन की शेष धनराशि समय सीमा के अन्तर्गत जमा करने में असफल होता है तब ऐसी स्थिति में दूसरे सफल निविदादाता के नाम निष्प्रयोज्य वाहन को प्रथम उच्चतम निविदादाता की दरों पर छोडने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की धरोहर के रूप में जमा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह वाहन विक्रय निविदा को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार कर सकता है और पुनः निविदा की कार्यवाही कर सकता है।

7. वाहन का विक्रय, गठित विभागीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समिति द्वारा किया जाएगा।

8. वाहन की विक्रय निविदा उपरान्त प्रथम सफल निविदादाता को वाहन का पंजीकरण स्वंय के नाम पर वाहन की डिलीवरी प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर व्यय का खर्च क्रेता द्वारा स्वंय वहन करना होगा। क्रेता द्वारा वाहन का पंजीकरण हस्तान्तरण किये जाने के उपरान्त ही जमानत राशि रू0 5000/– का ड्राफ्ट क्रेता को वापस किया जाएगा।

9. यदि कोई आयकर/व्यापार कर अथवा अन्य कोई कर नियमानुसार देय होगा तो वह क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा तथा सम्बन्धित विभाग को भुगतान कर उसकी रसीद/चालान की प्रति आयोग में जमा करेगा।

10. निविदा हेतु तय तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. उपरोक्त वाहन विक्रय निविदा की शर्तों के विषय में तथा निविदा की तिथि स्थगित होने या बदलने अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे ंसचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

सचिव

<u>आयोग के वाहन सं0 UA07D7390 मारूति स्टीम की विक्रय निविदा हेतु प्रपत्र</u>

निविदादाता का नाम :

निविदादाता का पता :

निविदाताा का फोन नं0 :

धरोहर राशि का विवरण :

वाहन का विवरण	निविदा धनराशि (रूपये में)
वाहन सं0 UA07 D 7390 मारूति स्टीम कार (पैट्रोल) मॉडल वर्ष 2002	

प्रपत्र के साथ निविदादाता द्वारा अपने पहचान पत्र की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर